85

संख्याः /XI/2012/ 56(36)2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग, देहरादून। दिनांकः 16 मार्च 2012

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना की वचन मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3800/5–लेखा–81/एन.आर.इ.जी.ए./राज्य स्तरीय प्र0/2011–12 दिनांक 28.02.2012 एवं शासनादेश संख्याः 1023/X1/2011/56(36)/2011 दिनांक 09.06.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना की अवचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक–1 के अनुसार **रु0 14.70 लाख (रुपये चौदह लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि को अविलम्ब आहरित कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निवर्तन पर रखी गयी धनराशि प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. किसी भी लेखाशीर्षक/मद में बजट प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि की सीमा में ही व्यय किया जाए। बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में व्यय न किया जाए और न ही पुर्नविनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाए।

5. बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग पूर्ण प्रतिबन्धित है।
6. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रुल्स 2008 तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएं उनमें स्पष्ट रुप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख भी किया जाए।
8. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाए और प्रत्येक माह की स्वीकृति व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
9. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। बी0एम0–13 पर नियमित रुप से सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. मितव्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांकः 31 मार्च 2011 में प्राप्त निर्देश के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

260

संख्याः /XI/2012/56(36)2011 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।

2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा।

3–आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4–समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
5–निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
6–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7–निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8–निजी सचिव मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9–वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।

260

शासनादेश संख्या : /XI/2012/ 56(36)2011] दिनांक 16 मार्च 2012 का संलग्नक

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र0 सं0	योजना/लेखा शीर्षक	स्वीकृत परिव्यय	स्वीकृत बजट	अब तक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	अनुदान संख्या–19 2515–102–18–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अनुश्रवण राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना				
2.	01–वेतन	8000	1150	1150	–
3.	03–मंहगाई भत्ता		690	690	–
4.	04–यात्रा व्यय		100	–	100
5.	06–अन्य भत्ते		127	127	–
6.	08–कार्यालय व्यय		50	–	50
7.	09–विद्युत देय		25	25	–
8.	10–जलकर/जल प्रभार		25	25	–
9.	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		50	–	50
10.	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		100	–	100
11.	13–टेलीफोन पर व्यय		50	–	50
12	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		100	–	100
13.	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		500	–	500
14.	17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व		300	300	–
15.	19– विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय		170	–	170
16.	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		250	–	250
17.	29–अनुरक्षण		1	–	–
18.	42–अन्य व्यय		100	–	100
	योग	8000	3788	2317	1470

(रु0 चौदह लाख सत्तर हजार मात्र)

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।